न्यायालयः- न्यायिक मजिस्ट्रेट दीगोद, जिला कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - नेहा वर्मा, आर.जे.एस.
नि.फौ.प्रकरण संख्या - 420/2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. - 265/2013, थाना- सुल्तानपुर
सी.आई.एस.नम्बर - 3210/2014
सी.एन.आर.नम्बर - RJKT16-000216-2013

राजस्थान राज्य बनाम सत्यनारायण

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता बरूए राजीनामा दोषमुक्त व धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता

-::: निर्णय :::- दिनांक 04-06-2026

प्रथम भाग

A.

फरियादी	राजस्थान सरकार
फरियादी की ओर से उपस्थित	विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री लोकेश राठौर
अभियुक्त का नाम व विवरण	सत्यनारायण पुत्र पृथ्वीलाल, निवासी सुरेला, पुलिस थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा, ग्रामीण राजस्थान।
अभियुक्त की ओर से उपस्थित	विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल चौधरी

B.

अपराध की दिनांक	23-09-2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	23-09-2013
आरोपपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	18-10-2013
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	23-11-2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	23-11-2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	निल
निर्णय दिनांक	04-06-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	निल

C.

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	पारित दण्डादेश
1	सत्यनारायण	18-10-2013	18-10-2013	324 भा.द.सं.	दोषमुक्त	-

- <u>द्वितीय भाग</u> -

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के साक्षीगण की सूची ::

A.- अभियोजन साक्षीगण -

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
पी.डब्ल्यू. 01	जुगराज	चश्मदीद व नक्शा मौका साक्षी
पी.डब्ल्यू. 02	दयाराम	शिकायतकर्ता साक्षी
पी.डब्ल्यू. 03	धनराज	फर्द नक्शा मौका साक्षी

B.- बचाव साक्षीगण -

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
-	NIL	-

C.- न्यायालय साक्षीगण -

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण)**
-	NIL	-

Authenticated Document

:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय पक्ष के प्रदर्श की सूची ::

A.- अभियोजन पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी-01	नक्शा मौका
2	प्रदर्श पी-02	तहरीरी रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी-03	चाक एफआईआर

B.- बचाव पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

C.- न्यायालय पक्ष -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

D.- भौतिक वस्तुएं -

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
-	NIL	-

1. हस्तगत प्रकरण का उद्भव दिनांक 18-10-2013 को पुलिस थाना सुल्तानपुर द्वारा आरोप पत्र पेश किये जाने से हुआ, जिसका हस्तगत निर्णय के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी दयाराम ने दिनांक 23-09-2013 को उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 23-09-2013 को रात्रि 9 बजे करीब की बात है कि वह उसके खेत पर बनी टापरी में लेट रहा था इतने में उनके गांव का सत्यनारायण पुत्र पृथ्वीलाल अपने हाथ में गण्डासी लेकर आया एवं उससे कहा कि 'तू ज्यादा दादा हो रहा है। आज ही तेरे हाथ पैर तोडूंगा।' वह डर के मारे वहां से भागने लगा तो सत्यनरायण ने उसे आडे फिरकर रोक लिया एवं गण्डासी की मारी

जिससे उसके बाएं हाथ पर चोट लगने से खून निकल आया.....इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सुल्तानपुर, कोटा ग्रामीण द्वारा मुकदमा नम्बर 265/2013 अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त सत्यनारायण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। बाद अवलोकन आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्त सत्यनारायण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन-समझकर अभियुक्त ने उक्त धाराओं का आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ की गई।

5. **प्रकरण के इस स्तर पर दिनांक 28-11-2025 को अभियुक्त सत्यनारायण एवं फरियादी दयाराम के बीच राजीनामा होने से, अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में राजीनामा पेश किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। फरियादी द्वारा स्वैच्छयापूर्ण राजीनामा पेश किये जाने के कारण उक्त राजीनामा न्यायालय के द्वारा तस्दीक किया गया। ऐसे में अभियुक्त को बरूए राजीनामा अंतर्गत धारा 341, 323, भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।**

प्रकरण में अभियुक्त सत्यनारायण के विरुद्ध आरोपित अपराधों में से अपराध अन्तर्गत धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता में विचारण शेष है।

6. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 3 के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 3 के रूप में प्रदर्शित कराये कराते हुए साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

7. तत्पश्चात् अभियुक्त के कथन धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी

Authenticated Document

अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा समाप्त की गई।

8. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस में अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त व फरियादी के मध्य राजीनामा हो चुका है। किसी भी गवाह ने अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का विरोध कर उचित आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

9. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

1. **क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 23-09-2013 को समय रात्रि करीब 9 बजे वाके मौजा सुरेला, थाना सुल्तानपुर पर फरियादी दयाराम के साथ जानबूझकर घातक हथियार गंडासी से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की?**

2. **क्या अभियोजन ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है? यदि हां तो, दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी?**

10. सर्वप्रथम हम विचारणीय बिन्दु संख्या एक के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष ने कुल 03 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराते हुए कुल 03 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं, जिस समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार हैः-

11. **गवाह पी.डब्ल्यू. 1 जुगराज**, जो नक्शा मौका का साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि आज से 12-13 साल पहले रात को 09 बजे की बात है वह घर के बाहर सो रहा था। उसका भाई दयाराम धान की रखवाली करने के लिए खेत पर गया हुआ था। उसके भाई का उसके पास फोन आया जिसने बताया कि सत्यनारायण ने शराब पीकर उसके साथ गाली गलौच कर मारपीट की है। वह खेत पर गया तो सत्यनारायण वहाँ से भाग गया। उसके पिता जी गोरधन जी भी वहाँ पर आ गए थे। उसके भाई दयाराम के हाथ से खून निकल रहा

Authenticated Document

था, जिसने बताया कि सत्यनारायण उसके साथ शराब पीकर गाली गलौच कर रहा था। उसने मना किया तो उसके हाथ पर गंडासी की मार दी, जिसकी रिपोर्ट उसके भाई गोरधन ने सुल्तानपुर थाने में करवाई थी। रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसके पिता जी गोरधन जी की मृत्यु हो गयी है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **लडाई झगडा खेत में हुआ था, उस समय वह घर पर था, उसने मारपीट करते हुए नहीं देखा।**

12. **गवाह पी.डब्ल्यू. 2 दयाराम** जो शिकायतकर्ता/फरियादी साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि सन् 2013 को रात के 09 बजे के करीब वह खेत में टापरी पर लेट रहा था, वहाँ पर सत्यनारायण शराब पीकर गंडासी लेकर आया, जिसने उससे कहा कि 'तु ज्यादा दादा हो रहा है, तेरे हाथ पैर तोड दूंगा।' उसके साथ वह गॉली गलौच करने लगा। वह भागने लगा तो उसे रोककर सत्यनारायण ने गंडासी की बाएं हाथ में मारी, जिससे उसके हाथ की हथेली कट गयी थी तथा खून निकल आया था। उसने फोन किया तो उसके पिता गोरधन व उसका भाई वहाँ पर आया जिन्हें देखकर सत्यनारायण वहाँ से भाग गया, जिसके बाद उसने उसके पिता गोरधन जी के साथ सुल्तानपुर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 और चाक एफआईआर प्रदर्श पी 03 पर ए से बी पर उसके तथा सी से डी पर उसके पिता जी गोरधन जी के हस्ताक्षर है, जिनकी मृत्यु हो गयी है। रिपोर्ट करवाने के बाद पुलिस घटनास्थल पर आई थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 बनाया था, जिस पर सी से डी पर उसके हस्ताक्षर है। उसके घटना में आई चोटों का पुलिस ने मेडिकल करवाया था, जो शामिल पत्रावली है।

लेकिन, **अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में** उक्त गवाह ने कथन किया कि **घटना रात को 1 बजे करीब की है। घटना रात को 9 बजे नहीं हुई। उसके हाथ में हथेली में लगी थी। यह कहना गलत है कि धक्का मुक्की से चोट आई हो। उसने कुटिया पकडा था, इसलिए उसके चोट आई थी। उसने कुटिया लडाई झगडे में पकडा था। उसके गंडासी की नहीं लगी थी, कुटिया की ही लगी थी। यह बात सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 में उसके पिता जी व भाई जुगराज को मौके पर बुलाने की बात लिखी हुई नहीं है।**

Authenticated Document

रिपोर्ट में जुगराज के साथ मारपीट करने वाली बात भी लिखी हुई नहीं है।

13. **गवाह पी.डब्ल्यू. 3 धनराज** जो नक्शा मौका साक्षी है, ने मुख्य परीक्षण में बताया कि आज से 12-13 साल पहले जिस खेत पर दयाराम के साथ मारपीट हुई थी उस स्थान का पुलिस मौका देखने आई थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया था, जिस पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

लेकिन, अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि **उसका घटनास्थल के पास खेत नहीं है। पुलिस वाले आए थे जब वह भी वहां चला गया थ। पुलिस वालों ने प्रदर्श पी 1 उन्हें पढकर नहीं सुनाया।**

धारा 324 आईपीसी का निष्कर्षः-

उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि **क्या अभियुक्त सत्यनारायण द्वारा जानबूझकर परिवादी दयाराम के साथ गण्डासी के मारपीट करके स्वेच्छा परिवादी को उपहति कारित की गई है अथवा नहीं?**

14. उक्त विचारणीय बिन्दु के निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 3 गवाह न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायालय के विनम्र मत में यह है अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, क्योंकि प्रकरण में स्वयं फरियादी दयाराम महत्वपूर्ण गवाह होकर अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है और अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसने कुटिया पकडी थी, जिससे उसे चोट आने का कथन करता है। साथ ही प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 01 जुगराज व पीडब्ल्यू 03 धनराज नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 के औपचारिक साक्षी हैं, जिन्होंने अपने बयानों में उक्त फर्द की ताईद की है, परंतु गवाह पीडब्ल्यू 1 जुगराज ने अपनी जिरह में मारपीट करते हुए नहीं देखना जाहिर किया है, साथ ही गवाह पीडब्ल्यू 3 धनराज ने अपने प्रतिपरीक्षण में पुलिस वालों ने प्रदर्श पी 1 उसे पढकर नहीं सुनाए जाने का कथन किया है।

ऐसे में यदि अभियोजन कहानी के संदर्भ में पत्रावली को देखा जाए तो प्रकरण में परीक्षित परिवादी/मजरूब ने अभियोजन कहानी

Authenticated Document

की ताईद नहीं की है, जबकि सामान्यतः मारपीट के प्रकरणों में परिवादी/मजरूब के कथन व मौके के गवाहों के बयान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रकरण का परिवादी कुटिया पकडने से चोट आना बताता है, जबकि वह अपनी रिपोर्ट में गडासी से मारपीट करना कहता है, ऐसे में प्रकरण के मुख्य गवाह के कथनों में विरोधाभास स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। साथ ही प्रकरण में अन्य किसी भी मौके के गवाह को भी पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है।

ऐसे में अभियुक्तगण पर विरचित आरोपित अपराध के संदर्भ में यदि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों के कथनों का समग्रता से अवलोकन किया जाए तो प्रकरण के परिवादी/मजरूब ने अभियोजन कहानी की ताईद अपने कथनों से नहीं की है। साथ ही प्रकरण के किसी भी गवाह ने अपने कथनों में यह नहीं कहा है कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी साथ गण्डासी से मारपीट करके उक्त वर्णित चोटें कारित की हो। साथ ही प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी के कथनों का भी अभाव है। ऐसे में प्रकरण के अभियुक्तगण की दोषिसिद्धि को आधार नहीं बनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहे हैं, ऐसे में अभियुक्त धारा 324 आईपीसी के आरोप में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

15. अन्त में उपर्युक्त समग्र विवेचन, विश्लेषण व मूल्यांकन पश्चात् न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 23-09-2013 को समय रात्रि करीब 9 बजे वाके मौजा सुरेला, थाना सुल्तानपुर पर फरियादी दयाराम के साथ जानबूझकर घातक हथियार गंडासी से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। लिहाजा, अभियुक्त सत्यनारायण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

-ः: आदेश ::-

16. **फलतः अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र पृथ्वीलाल, निवासी सुरेला, पुलिस थाना सुल्तानपुर, जिला कोटा, ग्रामीण राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय**

Authenticated Document

दण्ड संहिता के आरोप में दिनांक 28-11-2025 को बरूवे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

अभियुक्त के पूर्व में पेशशुदा तारीख पेशी के जमानत मुचलके एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्त छः माह की अवधि के लिए दस हजार रूपये का मुचलका व इसी राशि की जमानत प्रस्तुत करेगा।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

17. यह निर्णय आज दिनांक 04-06-2026 को लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय सरे इजलास सुनाया गया।

(नेहा वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद

VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Stenographer grade III
Digitally signed by VINOD KUMAR PANCHESHWAR
Date: 2026.06.16 11:33:58 +0530

Authenticated Document